

प्रेषक,

प्रधानाचार्य,
एम0आर0ए0 मेडिकल कालेज,
अम्बेडकर नगर।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या-ई0सी0-1/2021/

दिनांक: 01/2/2021

विषय:- आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर तथा सीनियर/जूनियर रेजीडेन्ट के पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने के सम्बन्ध में।

अवगत कराना है कि विज्ञप्ति संख्या-कैम्प/2021/204 दिनांक: 23-01-2021 के द्वारा मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर में रिक्त आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य के पदों को संविदा के आधार पर तथा सीनियर/जूनियर रेजीडेन्ट के पदों को भरे जाने हेतु विज्ञप्ति की गयी है। इस पत्र के साथ संलग्न रिक्त पदों का विवरण जिसका वाक् इन इन्टरव्यू दिनांक: 25-02-2021 दिन बृहस्पतिवार को होना निश्चित हुआ है, को महानिदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

सादर /

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

सन्दीप,

(सन्दीप कौशिक)
प्रधानाचार्य

संख्या- ई0सी0-1/2021/203-06

दिनांक: /2021

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

✓ 2- प्रभारी अधिकारी, वेबसाइट, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर को इस आशय से प्रेषित कि पदों की विज्ञप्ति को मेडिकल कालेज की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

3- सूचना पट्ट मेडिकल कालेज एवं केन्द्रीय पुस्तकालय, मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर।

(सन्दीप कौशिक)
प्रधानाचार्य


विज्ञप्ति संख्या-कैम्प/2021/204 दिनांक: 23-01-2021 के क्रम में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है, जिन पदों पर दिनांक: 25-02-2021 को साक्षात्कार होना निश्चित हुआ है:-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी
1	2	3	4	5
1	आर्थोपेडिक्स	आचार्य	01	अनु० जाति
2	आथलमोलॉजी	आचार्य	01	अनारक्षित
3	एनाटमी	आचार्य	01	अनारक्षित
4	एनेस्थीसियोलॉजी	आचार्य	01	अनु० जाति
5	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी	आचार्य	01	अनारक्षित
6	जनरल मेडिसिन	आचार्य	02	01 ओ०बी०सी० तथा 01 अनारक्षित
7	जनरल सर्जरी	आचार्य	01	ओ०बी०सी०
8	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्परेटरी मेडिसिन/पल्मोनरी मेडिसिन	आचार्य	01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
9	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	आचार्य	01	अनु० जाति
10	पीडियाट्रिक्स	आचार्य	01	ओ०बी०सी०
11	पैथोलॉजी +(ब्लड बैंक)	आचार्य	02	01 अनारक्षित तथा 01 अनु० जाति
12	फिजियोलॉजी	आचार्य	01	ओ०बी०सी०
13	फोरेन्सिक मेडिसिन	आचार्य	01	अनारक्षित
14	बायोकेमिस्ट्री	आचार्य	01	ओ०बी०सी०
15	माइक्रोबायोलॉजी	आचार्य	01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
16	साइकियेट्री	आचार्य	01	अनारक्षित
		योग-	18	

(संदीप कौशिक)
प्रधानाचार्य


विज्ञप्ति संख्या-कैम्प/2021/204 दिनांक:23-01-2021 के क्रम में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है, जिन पदों पर दिनांक: 25-02-2021 को साक्षात्कार होना निश्चित हुआ है:-

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी
1	2	3	4	5
1	आर्थोपेडिक्स	सह आचार्य	01	अनुसूचित जाति
2	एनाटमी	सह आचार्य	01	अनुसूचित जाति
3	एनेस्थीसियोलॉजी	सह आचार्य	02	01 अनारक्षित तथा 01 ओ०बी०सी०
4	कम्युनिटी मेडिसिन	सह आचार्य	01	ओ०बी०सी०
5	जनरल मेडिसिन	सह आचार्य	01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
6	जनरल सर्जरी	सह आचार्य	02	01 अनु० जाति तथा 01 अनारक्षित
7	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	सह आचार्य	01	ओ०बी०सी०
8	पीडियाट्रिक्स	सह आचार्य	01	अनारक्षित
9	पैथोलॉजी	सह आचार्य	02	01 अनु० जाति, तथा 01 ओ०बी०सी०
10	फार्माकोलॉजी	सह आचार्य	01	अनारक्षित
11	फिजियोलॉजी	सह आचार्य	01	ओ०बी०सी०
12	फोरेन्सिक मेडिसिन	सह आचार्य	01	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
13	रेडियोडायग्नोसिस	सह आचार्य	01	अनारक्षित
14	साइकियेट्री	सह आचार्य	01	ओ०बी०सी०
		योग-	17	


 (संदीप कौशिक)
 प्रधानाचार्य

विज्ञापित संख्या-कैम्प/2021/204 दिनांक: 23-01-2021 के क्रम में रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है, जिन पदों पर दिनांक: 25-02-2021 को साक्षात्कार होना निश्चित हुआ है:-


क्र० सं०	विशिष्टता का नाम	पदनाम	रिक्त पद	श्रेणी
1	2	3	4	5
1	आब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गायनोकोलॉजी	एन्टीनेन्टल मेडिकल आफिसर कम सहायक आचार्य	01	अनु० जाति
2	एनेस्थीसियोलॉजी	सहायक आचार्य	02	01 ओ०बी०सी० तथा 01 अनारक्षित
3	कम्युनिटी मेडिसिन	सहायक आचार्य	01	अनारक्षित
		एपीडेमोलॉजिस्ट कम सहायक आचार्य	01	अनारक्षित
		स्टेटीशियन कम सहायक आचार्य	01	ओ०बी०सी०
4	जनरल मेडिसिन	सहायक आचार्य	03	01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, 01 अनु० जाति तथा 01 ओ०बी०सी०
5	जनरल सर्जरी	सहायक आचार्य	01	अनु० जाति
6	रेडियोलॉजी	सहायक आचार्य	02	01 ओ०बी०सी० तथा 01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
7	बायोकेमिस्ट्री	सहायक आचार्य	01	अनु० जाति
8	अस्थि रोग	सहायक आचार्य	01	अनारक्षित
9	एनेस्थीसियोलॉजी	सहायक आचार्य	01	ओ०बी०सी०
10	आपथलमोलॉजी	सहायक आचार्य	01	अनारक्षित
11	ओटो-राइनो-लैरिंगोलॉजी	सहायक आचार्य	01	अनुसूचित जाति
		योग-	17	


(संदीप कौशिक)
प्रधानाचार्य

उक्त पदों पर नियमानुसार आरक्षण लागू होगा। संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- 1- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन रू0- 1,35,000/, सह-आचार्यों का नियत वेतन रू0-1,20,000/ तथा सहायक आचार्य को नियत वेतन रू0-90,000/ प्रतिमाह देय होगा (मेडिकल कालेज से सेवानिवृत्त आचार्य को शासनादेश संख्या-250/2018/4067/71-1-2017-जी-63/2008 दिनांक: 20 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत शर्तों के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा)। इस हेतु आवेदक को Medical Council of India, Minimum Qualification for teachers in Medical Institutions Regulations, 1998 (Amended Upto 8th June[2017] (वर्तमान में एन0एम0सी0) के नवीनतम मानकों के अनुसार निर्धारित शैक्षिक अर्हतायें एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- 2- चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या-562/71-1-2020-जी0-63/2008 दिनांक: 10 जून, 2020 के अनुसार जुलाई के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- 3- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हता/शैक्षिक अनुभव, उ0प्र0 राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होगी।
- 4- ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- 5- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करना होगा।
- 6- कोई भी चिकित्सा शिक्षक मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- 7- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिये हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- 8- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होंगे। समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार वेतन देय होगा।
- 9- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा सन्तोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- 10- ऐसे चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष का होगा। एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात् लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार उपरान्त बढ़ाया जा सकेगा।
- 11- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के एक माह के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना शासन तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 को तत्काल भेजी जायेगी।
- 12- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा। उसे ऐसे कालावधि के लिए कोई बोनस देय नहीं होंगे।
- 13- चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होंगे।
- 14- संविदा आधारित नियुक्ति किसी भी एक पक्ष द्वारा और किसी भी समय एक माह की सूचना या एक माह का संविदा वेतन भुगतान करके समाप्त की जा सकती है।
- 15- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होगी जैसे करार या अनुबन्ध पत्र में विनिर्दिष्ट की जाय। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुबन्ध या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह भविष्य में अपने कार्य एवं कार्यकाल के आधार पर अपने विनियमितीकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमन्य होगी।
- 16- साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध मा0 न्यायालय में कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं है और यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी सेवायें तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 17- कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं हैं।
- 18- उक्त संविदा पर चयन की प्रक्रिया प्रधानाचार्य की संस्तुति के आधार पर शासन/महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के माध्यम से की जानी है। अन्तिम चयन की प्रक्रिया शासन/महानिदेशालय में ही निहित होगी।
- 19- पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घट-बढ़ सकती हैं।

नोट:- साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।


(संदीप कौशिक)
प्रधानाचार्य